

अनुमंडल कार्यालय, पश्चिम, मुजफ्फरपुर
(विधि प्रशाखा)

पत्रांक- 1360 /विधि

दिनांक- 3 | 3 ... 2012

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर ।

सेवा मे,

श्री नजरुल होदा,
अध्यक्ष,
ग्रामीण एजुकेशनल एंड वेलफेर सोसाईटी, करनाल ।
वर्तमान नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गोपी धनवत, थाना सरैया,
जिला मुजफ्फरपुर ।


विषय : सम्पर्कित की अनुमति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध मे ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शैक्षणिक संस्थान हेतु नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गोपी
धनवत, सरैया, मुजफ्फरपुर के सम्पर्कित की अनुमति का प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ
संलग्न कर भेजा जाता है ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन


अनुमंडल पदाधिकारी,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर ।

बिहार गजट (असाधारण), 16 मार्च 2011

प्रपत्र-7

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पर्वर्तन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत धारा-3 उप-धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत सम्पर्वर्तन की अनुमति प्रमाण-पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पर्वर्तन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत धारा-3 उप-धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन से सम्पर्वर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

भूमि की विवरणी:-

1	जिला का नाम	:	मुजफ्फरपुर				
2	अनुमंडल का नाम	:	मुजफ्फरपुर, पश्चिम				
3	अंचल का नाम	:	सरैया				
4	रैयत का नाम	:	नजरूल होदा, अध्यक्ष, ग्रामीण एजुकेशनल एंड वेलफेर सोसाईटी, करनाल। वर्तमान नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गोपी धनवत, थाना सरैया, जिला मुजो				
5	राजस्व ग्राम का नाम	:	गोपी धनवत				
6	राजस्व थाना संख्या	:	543				
7	खाता संख्या	:	266	217	79	287	73
8	खेसरा नं०	:	662	663	665	666	668
9	गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त किया जानेवाला रकवा (डी० में)	:	10	9	17.5	58	5.5
10	चौहानी	:	<u>2086-चौहानी</u> उत्तर-राम प्रमोद सिंह वो जोगेन्द्र महतो वगैरह दक्षिण-सड़क पक्की वो मंदिर व प्राथमिक वि० पूरब-अखिलेख सिंह वो अरविन्द सिंह वगैरह वो निरसन ठाकुर पश्चिम-निज बिक्रेता				
11	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	:	शैक्षणिक संस्थान				
12	सम्पर्वर्तन के उपरांत देय वार्षिक लगान	:	750.00 रुपये				

अनुमंडल पदाधिकारी,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर।

जिला.....मुजफ्फरपुर.....
दिनांक.....०३/०३/१२.....